

फा. सं. FP-19/04/2026-स्था.-भाग(7)
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद

अंसारी नगर, नई दिल्ली - 110029
दिनांक: 08 जुलाई, 2026

कार्यालय आदेश

परिषद के दिनांक 14.10.2025 के स्थानान्तरण/तैनाती आदेश सं. FP-19/31/2025-स्था. के संदर्भ में, निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा उनके नाम के सामने दर्शाए गए आईसीएमआर संस्थानों/केंद्रों में बने रहने हेतु अनुरोध/अभ्यावेदन प्रस्तुत किए गए थे:-

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम	...मेंतैनाती/स्थानान्तरण	बने रहने हेतु अनुरोधित स्थान
1.	श्री सुनील बर्नार्ड, वरिष्ठ निजी सचिव, एनआईआरबीआई, कोलकाता	परिषद मुख्यालय	एनआईआरबीआई, कोलकाता
2.	श्री आर. के. आमले, वरिष्ठ निजी सचिव, एनआईवी, पुणे	परिषद मुख्यालय	एनआईवी, पुणे
3.	श्रीमती रेखा रानी, निजी सचिव, एनआईसीएचआर, दिल्ली	परिषद मुख्यालय	एनआईसीएचआर, दिल्ली
4.	सुश्री शकीला इमाम चौधरी, निजी सचिव, एनआईवी, पुणे	एनआईएचआर, भुवनेश्वर	एनआईवी, पुणे
5.	श्री एस. शशिकुमार, निजी सहायक, एनआईआरटी, चेन्नई	एनआईएचआर, गोरखपुर	एनआईआरटी, चेन्नई
6.	श्री ओत्तुरी वेंकट प्रदीप, निजी सहायक, एनआईआरटी, चेन्नई	एनआईपीसीआर, हैदराबाद	एनआईआरटी, चेन्नई
7.	श्रीमती जी. एच. ज्योतिप्रिया, निजी सहायक, एनआईआरटी, चेन्नई	एनआईएनई, बेंगलुरु	एनआईआरटी, चेन्नई
8.	श्रीमती सिंधु आचार्य, निजी सहायक, एनआईओएचआर, अहमदाबाद	एनआईएचआर, जबलपुर	एनआईओएचआर, अहमदाबाद

2. उनके अनुरोधों/अभ्यावेदनों की जांच/विचार करने के उपरांत सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया गया है कि उक्त अनुरोधों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि स्थानान्तरण परिषद मुख्यालय/संस्थानों/केंद्रों की प्रशासनिक सुविधा एवं कार्यात्मक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं।

3. उपर्युक्त अधिकारियों को एतद्वारा निदेश दिया जाता है कि वे तत्काल प्रभाव से एवं अगले आदेशों तक अपने संबंधित तैनाती स्थल पर रिपोर्ट करें तथा अपने कर्तव्यों का कार्यभार ग्रहण करें और इसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को दें।
4. इसके अतिरिक्त, संबंधित संस्थानों के आहरण एवं वितरण अधिकारी (डी.डी.ओ.) उपर्युक्त अधिकारियों के संबंध में दिनांक 15.07.2026 के पश्चात वेतन आहरित नहीं करेंगे।
5. इस संबंध में कोई अनुरोध/अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
6. कार्यालय आदेश सं. FP-19/31/2025-स्था. दिनांक 14.10.2025 में उल्लेखित अन्य सभी नियम एवं शर्तें यथावत रहेंगी।

-हस्त-
(जयबीर सिंह)
सहायक महानिदेशक (प्रशा.)

संबंधित समस्त अधिकारी (08)

प्रतिलिपि:

1. महानिदेशक/अपर महानिदेशक (आई/एम एवं ई/एम)/वरिष्ठ उप महानिदेशक(प्रशा.)/वरिष्ठ वित्त सलाहकार के निजी सचिव।
2. निदेशक/प्रभारी निदेशक, आईसीएमआर-एनआईआरबीआई, कोलकाता/एनआईवी, पुणे/एनआईसीएचआर, दिल्ली/एनआईएचआर, भुवनेश्वर/एनआईआरटी, चेन्नई/ एनआईएचआर, गोरखपुर/एनआईपीसीआर, हैदराबाद/एनआईएनई, बंगलुरु/एनआईओएचआर, अहमदाबाद/एनआईएचआर, जबलपुर – इस अनुरोध सहित कि आदेश के सुचारु कार्यान्वयन हेतु अपने नियंत्रणाधीन संबंधित कर्मचारियों को तत्काल कार्यमुक्त करें तथा कार्यमुक्ति/कार्यभार ग्रहण/कार्यभार सौंपने संबंधी रिपोर्ट स्थापना अनुभाग, आईसीएमआर मुख्यालय को ई-मेल (admin1.hq@icmr.gov.in) के माध्यम से 7 दिनों के भीतर प्रेषित करें।
3. उप महानिदेशक (प्रशा.)/सहायक महानिदेशक (प्रशा.) (भर्ती एवं पदोन्नति)/सहायक महानिदेशक (वित्त एवं लेखा)
4. आहरण एवं वितरण अधिकारी/बिल अनुभाग, परिषद मुख्यालय।
5. नोडल अधिकारी, ई-गवर्नेंस प्रकोष्ठ।
6. व्यक्तिगत फाइल/बजट फाइल/गार्ड फाइल।